

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2022—आषाढ़ 3, शक 1944

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

संशोधन

अधि.क्र. 77-एफ-1-392-2020-अठारह-3, को नगर परिषद् बारीगढ, जिला छतरपुर के वार्ड आरक्षण की अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 32 एफ 1-392-2020-अठारह-3, दिनांक 27 मई 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2 में प्रकाशित की गई थी, जिसके सरल क्रमांक 03, 06, एवं 07 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Name and Number
3	No. of Wards Reserved for other Backward Classes	02	(1) Ward No. 08, Dr. Rajendra Prashad Ward (2) Ward No. 09, Sanjay Gandhi Ward

6	No. of Ward Reserved for other Backward Classess (Women)	01	(1) Ward No. 08, Dr. Rajendra Prashad Ward.
7	No. of Wards Reserved for (other from S.No. 4, 5&6) (Women)	04	(1) Ward No. 01, Chandra Shekhar Azad Ward. (2) Ward No. 02, Laxmibai Ward. (3) Ward No. 06, Maharaja Chhatarsal Ward. (4) Ward No. 07, Jawahar Lal Nehru Ward.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2022

संशोधन

अधि.क्र. 78—एफ 1-240-2020—अठारह-3, को नगर परिषद् बिजावर, जिला छतरपुर के वार्ड आरक्षण की हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक 32 एफ 1-240-2020—अठारह-3, दिनांक 27 मई 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2 में प्रकाशित की गई थी, जिसके सरल क्रमांक 06 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

हिन्दी अधिसूचना

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 12, तिलक वार्ड. (2) वार्ड क्र0 13, सुभाष वार्ड.

अंग्रेजी अधिसूचना

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Name and Number
6	No. of Ward Reserved for other Backward Classess (Women)	02	(1) Ward No. 12, Tilak Ward (2) Ward No. 13, Subhash Ward

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2022

अधिसूचना क्र. 86 एफ 1-35/2022/18-3: मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद पुनासा जिला खण्डवा के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्रं.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्रमांक 05 सुदामा नगर वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	07	(1) वार्ड क्रमांक 02 जननायक बिरसा मुण्डा वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 01 जननायक टंटया मामा वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 15 अटल बिहारी वाजपेयी (4) वार्ड क्रमांक 06 कालसन माता वार्ड (5) वार्ड क्रमांक 11 भगतसिंह वार्ड (6) वार्ड क्रमांक 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (7) वार्ड क्रमांक 04 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड,	01	(1) वार्ड क्रमांक 03 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड,	04	(1) वार्ड क्रमांक 02 जननायक बिरसा मुण्डा वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 01 जननायक टंटया मामा वार्ड (4) वार्ड क्रमांक 15 अटल बिहारी वाजपेयी
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	निरंक	निरंक
7	अनारक्षित वार्ड में से महिलाओं के लिए उक्त सरल क्रमांक 3 व 4 के अलावा आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्रमांक 08 महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्रमांक 13 संत सिंगाजी वार्ड (3) वार्ड क्रमांक 10 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2022

क्रमांक एफ-1-35-2022-अठारह-3. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 86-एफ 1-35-2022-अठारह-3, दिनांक 24 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 24th June 2022

Not- No. 86 F 1-35/2022/18-3 - In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe, Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of ward for Nagar Parishad Punasa, District Khandwa Published As Follows :-

No.	Reserved ward for Category	Total Reserved Ward's	Reserved wards name and Number
(1)	(2)	(3)	(4)
1	No. of wards Reserved For Schedule Cast	02	(1) Ward No. 05 Sudama Nagar Ward (2) Ward No. 03 Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
2	No. of wards Reserved For Schedule Tribe	07	(1) Ward No. 02 Jannayak Birsa Munda Ward (2) Ward No. 01 Jannayak Tantya Mama Ward (3) Ward No. 15 Atal Bihari Vajpayee Ward (4) Ward No. 06 Kalsan Mata Ward (5) Ward No. 11 Bhagat Singh Ward (6) Ward No. 12 Sardar Vallabhbhai Patel Ward (7) Ward No. 04 Maharani Lakshmi Bai Ward
3	No. of wards reserved for other backward Classes	Nil	Nil
4	No. of wards Reserved For Schedule Caste's (Women)	01	(1) Ward No. 03 Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
5	No. of wards Reserved For Schedule Tribe (Women)	04	(1) Ward No. 02 Jannanyak Birsa Munda Ward (2) Ward No. 12 Sardar Vallabhbhai Patel Ward (3) Ward No. 01 Jannanyak Tantya Mama Ward (4) Ward No. 15 Atal Bihari Vajpayee Ward
6	No. of wards reserved for other backward Classes (Women)	Nil	Nil
7	No. of wards Reserved For (other From S.No.3 & 4) other Women	03	(1) Ward No 08 Mahatama Gandhi Ward (2) Ward No 13 Sant Singaji Ward (3) Ward No 10 Chandrashekar Aazad Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2022
(त्रुटिसुधार संशोधित अधिसूचना)

अधि.क्र. 87 एफ 1-411/2020/18-3, को नगर पालिका परिषद अम्बाह जिला मुरैना के वार्ड आरक्षण की हिन्दी/अंग्रेजी संशोधित अधिसूचना क्रमांक 46 एफ 1-411/2020/18-3 दिनांक 27.05.2022 को म.प्र.राजपत्र भाग-2 में प्रकाशित की गई थी, जिसके सरल क्रमांक 04, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

हिन्दी अधिसूचना

क्र.	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र0 10, राजीव गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र0 11, अम्बेडकर वार्ड

अंग्रेजी अधिसूचना

No	Reserved wards for Category	Total Reserved ward's	Reserved ward's Name and Number
4	No. of wards Reserved for Scheduled Caste's (Women)	02	(1) Ward No. 10, Rajiv Gandhi Ward (2) Ward No. 11, Ambedkar Ward

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.